न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/57/2024 रजू दिनांक: 02.01.2024 रजि0 न0 2024/93

अपीलार्थी:–
श्री संजय शर्मा पुत्र मूलचन्द शर्मा, निवासी 54 विजय नगर, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, जयपुर–302031 जिला जयपुर (राज0)

प्रत्यर्थी:–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:– 16.04.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 17.02.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 16.04.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र क्रमांक लो0सू0अधि0/प्रथम अपील/2024/539 दिनांक 09.04.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम सूचना आवेदन दिनांक 17.02.2024 के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय द्वारा जरिये पत्रांक 377 दिनांक 08.02.2024 के माध्यम से किए गए विनिश्चय पर असंतोष व्यक्त किया है। उक्त के संबंध में उल्लेखनिय है कि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा उक्त अधिनियम 2005 के तहत किसी विशिष्टीकृत अभिलेख/आदेशादि की प्रति नहीं चाही जाकर खातेदारी अधिकार/मालिकाना हकके संबंध में प्रश्न कर विविध 3 बिन्दुओं पर सूचना चाही थी जो काल्पनिक/प्रश्नात्मक/सृजनात्मक/संकलनीय /बहुआयामी/बहुआयामी प्रकृति की होने के कारण भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं0 11/2/2008–IR दिनांक 10.07.2008, राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 एवं दिनांक 16.12.2011 के आलोक में कार्यालय पत्र सं0 469 दिनांक 21.03.2024 के माध्यम से विधिक विनिश्चय किया जाकर उक्तानुसार आवेदन खारिज कर अपीलार्थी को संसूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में विनिश्चय किया जा चुका है। अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकारी अधि0 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)